



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/1591

दिनांक 22/6/2021

आदेश

इस विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2021 के द्वारा फार्माकोलॉजी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी। राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेंट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉयमेंट रूल्स, 2017 (as and when ammended) के नियम 28 के अन्तर्गत फार्माकोलॉजी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जाती है :-

PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Ashwani Kumar Gupta	General	30.05.1974
2.	Dr. Madan Lal	General	28.02.1953
3.	Dr. R.P. Acharya	General	01.07.1959
4.	Dr. Rakesh Kumar Karnani *	General	05.02.1980
5.	Dr. Pushpawati Jain	General	23.09.1952
6.	Dr. Gaurav Gulrez	General	20.11.1977

ASSOCIATE PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Rakesh Kumar Karnani	General	05.02.1980
2.	Dr. Nitin Kothari	General	07.11.1983
3.	Dr. Vijay Shanker Purohit	General	20.09.1954

ASSISTANT PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Priyanka Kumawat	General	17.06.1984
2.	Dr. Ateendra Singh	General	02.09.1985
3.	Dr. Rajendra Sharma	General	16.04.1977
4.	Dr. Harsh Yadav	OBC	03.10.1981
5.	Dr. Jignesh Kumar	OBC	20.05.1986

A



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

SENIOR DEMONSTRATOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Karunakar Kota	General	04.03.1985
2.	Sneha Bhataia	General	22.02.1989

* माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की याचिका संख्या 10890/2019 के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन।

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/1591

दिनांक 22/6/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरु/डूंगरपुर/बाड़मेर/सीकर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर